न्यायालय - न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर, राज०

पीठासीन अधिकारी :– **सुमन मीणा, आर.जे.एस.**

निय.फौज. प्र.सं. :– **774/2024**

सी०आई०एस० नं. :– **774/2024**

प्र.सू.रिपोर्ट सं० :– **98/2024, थाना महिला, धौलपुर**

राजस्थान राज्य जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी, धौलपुर

---अभियोगी

बनाम

जयप्रकाश उर्फ अमित पुत्र श्री शंकरसिंह, उम्र 31 साल, निवासी चांदनी चौक नील गर गली सबलगढ, थाना सबलगढ, जिला मुरैना, एम.पी.।

---अभियुक्त

उपस्थितः-

01. **राज्य की ओर से**	- विद्वान सहायक लोक अभियोजन अधिकारी।
02. **अभियुक्त की ओर से**	- विद्वान अधिवक्ता श्री अमरकांत त्यागी।

अपराध की दिनांक	09.03.2024	**साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि**	12.08.2024
प्र.सू.रि. की दिनांक	15.04.2024	**बहस अंतिम की दिनांक**	12.03.2026
आरोप-पत्र पेश करने की दिनांक	24.06.2024	**निर्णय की दिनांक**	12.03.2026
आरोप विरचित करने की दिनांक	12.08.2024	**दण्डादेश की दिनांक (यदि हो तो)**	-

फार्म "बी"

अभियुक्त का विवरणः-

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत की दिनांक	अपराध धारा	दोषमुक्त या दोषसिद्ध
1.	**जयप्रकाश उर्फ अमित**	-	-	498 ए, 406 भा.दं.सं.	दोषमुक्त

"Authenticate Document"

फार्म "सी"

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय के साक्षीगण की सूचीः-

(अ) अभियोजन साक्षीः-

क्र.सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
1.	श्रीमती प्रियंका	मुस्तगीसा व धारा 161 सी.आर.पी.सी. साक्षी
2.	विक्रम सिह	धारा 161 सी.आर.पी.सी. साक्षी
3.	देवेन्द्र	फर्द पेशकशी दहेज सामान, फर्द अस्थायी सुपुर्दगी व धारा 161 सी.आर.पी.सी. साक्षी

(ब) प्रतिरक्षा साक्षीः- निल।

(स) न्यायालय साक्षीः- निल।

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय के दस्तावेजात की सूचीः-

(अ) अभियोजन दस्तावेजातः-

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
1.	प्रदर्श पी.01	तहरीरी रिपोर्ट
2.	प्रदर्श पी.02	एम एल आर ना कराने बाबत् तहरीर
3.	प्रदर्श पी.03	दहेज सामान के संबंध में तहरीर
4.	प्रदर्श पी.04	फर्द पेशकशी दहेज सामान
5.	प्रदर्श पी.05	फर्द अस्थायी सुपुर्दगी
6.	प्रदर्श पी.06	बयान धारा 161 सी.आर.पी.सी. गवाह प्रियंका
7.	प्रदर्श पी.07	बयान धारा 161 सी.आर.पी.सी. गवाह विक्रम
8.	प्रदर्श पी.08	बयान धारा 161 सी.आर.पी.सी. गवाह देवेन्द्र

(ब) प्रतिरक्षा दस्तावेजातः- निल।

(स) न्यायालय दस्तावेजातः- निल।

(द) आर्टिकल की सूचीः- निल।

अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 406 भा.दं.संहिता।

-- निर्णय --

दिनांकः- 12.03.2026

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादिया श्रीमती प्रियंका रावत की एक टाईपशुदा तहरीर रिपोर्ट मय काउंसलिंग रिपोर्ट के पुलिस थाना महिला, धौलपुर पर इस आशय की प्राप्त हुई कि प्रार्थीया का विवाह अमित उर्फ जयप्रकाश रावत पुत्र शंकरसिंह, निवासी पोस्ट ऑफिस के पास जनपदगली, सबलगढ, थाना सबलगढ, जिला मुरैना (म०प्र०) के साथ दिनाक 07/12/2023 को

"Authenticate Document"

हिन्दू रीति रिवाज से सात सम्पन्न हुआ था। प्रार्थीया को विधवा माँ ने विवाह में अपनी सामर्थ अनुसार स्त्रीधन व ससुरालीजनों के सम्मान स्वरूप एक सोने-चांदी के आभूषण, जेवरात, नकदी, मोटरसाईकिल, कपडे, घर-गृहस्थी का सामान इत्यादि दिये। प्रार्थीया को शादी के पाँच दिन तक अच्छे से रखा। प्रार्थीया दिनाक 15/12/2023 को पुनः अपनी ससुराल सबलगढ़ पहुंची, तो मुल्जिम पति अमित उर्फ जयप्रकाश रावत द्वारा कम दहेज लाने पर से लडाई झगडा करने लगा, मुल्जिमान सास माया, चाची सास राधा व ससुर शंकर सिंह कहते थे कि "तेरे परिवार वालों ने हमें कुछ नहीं दिया है" और प्रार्थीया से कहा कि "हमारा रिहायसी प्लॉट सबलगढ़ में है जिसे बनवाने के लिये हमें अपने घर से पाँच लाख रूपये अतिरिक्त दहेज मे लाकर दे" जिसका अनावेदिका ने विरोध किया। जिस पर मुल्जिम पति अमित उर्फ जयप्रकाश ने वेवजह प्रार्थीया की छोटी छोटी बातों पर मारपीट करने लगा तथा मुल्जिम पति के छोट भाई जीतेन्द्र रावत उर्फ जीतू, राहुल रघुवरदास उर्फ सनी तथा बहन पिंकी लडाई झगडा करवाते है और छोड छुट्टी करवाने तथा जान से मारने की धमकी देते और मुल्जिम पति अमित उर्फ जयप्रकाश भी छोड छुट्टी तथा जान से मारने की धमकी प्राथीया को देता था। प्रार्थीया ने अपने परिवारीजन को जरिये मोबाईल फोन सारी बातें बताई, उसके बाद प्रार्थीया के परिवारीजन तक 9/2/2024 को मुल्जिमानों को समझाइस करने के लिये उनके घर सबलगढ़ जाकर सामाजिक पंचायत लगवाई और सभी लोगों को समझाया तथा मुल्जिम पति अमित उर्फ जयप्रकाश दिनांक 11/02/2024 को प्रार्थीया को अपने साथ अपनी चाची राधा के घर जे एच नम्बर एस/75/22/डी नाला केम्प रगपुरी पहाडी नई दिल्ली 37 ले गया। जहाँ चाचा चाची होटल का कारोबार करते थे, वहाँ वे प्रार्थीया से घर ग्रहस्थी का सारा कार्य करवाते जैसे परिवार के आठ व्यक्तियों का खाना पकवाना, कपडे धोना घर की साफ सफाई करना आदि तब रात्री 12-1 बजे होटल बंद कर आने के बाद सब लोगों को खाना खिलाने के बाद प्रार्थीया को खाना मिलता था तब प्रार्थीया थक कर सो जाती। तब मुल्जिमान चाचा चाची सुबह 4 वार बजे का अलार्म लगा कर प्रार्थीया को जगाते, तब प्रार्थीया अधिक थक जाने व परेशान होने के कारण न जागने की स्थिति में मुल्जिम पति अमित उर्फ जयप्रकाश प्रार्थीया की खटिया उलटकर नीचे गिरा देता और प्रार्थीया की थाप थपड़ों से मारपीट करता तथा मुल्जिमा राधा चाची प्रार्थीया को माँ बहन की गंदी गदी गालियां देकर पूरे दिन क्रूरता पूर्ण तरीके से प्रताडित करती रहती थी। तब प्रार्थीया अधिक थकान तथा वेवक्त खाना मिलने से बीमार रहने लगी लेकिन मुल्जिमानों द्वारा प्रार्थीया का इलाज इस लिये नहीं कराया क्योंकि प्रार्थीया मर जाये। जिससे प्रार्थीया का जीवन कष्ट एवं पीड़ा क कारण संकट में पड़ गया तब प्रार्थीया ने अपने भाई को फोन किया, तब प्रार्थीया के भाई जय सिंह रावत, तथा विक्रम सिंह रावत दिनांक 9/3/2024 को दिल्ली गये और मुल्जिम पति अमित उर्फ जयप्रकाश तथा चाची सास राधा को समझाया तब उन्होने स्पष्ट शब्दों में प्रार्थीया व प्रार्थीया के भाईयों से कहा कि हमे पाँच लाख रूपये चाहिये तब हम प्रार्थीया को सही से रखेंगे और बेइज्जत करते हुये प्रार्थीया व

"Authenticate Document"

प्रार्थीया के भाईयों के साथ दिल्ली से मात्र पहने हुये कपड़ों में प्रार्थीया को भगा दिया तब प्रार्थीया के भाई प्रार्थीया को लेकर धौलपुर आ गये और प्रार्थीया का इलाज कराया। उसके बाद प्रार्थीया ने कई बार फोन कर अपना स्त्रीधन मुल्जिमानों से मांगा तो उक्त सभी मुल्जिमानों ने प्रार्थीया का स्त्री धन देने से मना कर दिया.....इत्यादि तथ्यों के आधार पर पुलिस थाना महिला, धौलपुर द्वारा मुकदमा संख्या 98/2024 अन्तर्गत धारा 498ए, 406, 323, 506 भा.दं.संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान, पुलिस थाना महिला, धौलपुर द्वारा अभियुक्त जयप्रकाश उर्फ अमित के विरूद्ध धारा 498ए, 406 भा.दं.संहिता में आरोप-पत्र पेश किया गया, जिस पर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं के अपराध के आरोपों में न्यायालय द्वारा प्रंसज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अन्वीक्षा प्रारंभ की गयी।

2. अभियुक्त को धारा 498ए, 406 भा.दं.संहिता के अपराध के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, तो अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. दौराने विचारण परिवादिया व अभियुक्त के मध्य दिनांक 11.03.2026 को धारा 406 भा.दं.संहिता के अंतर्गत राजीनामा पेश किया गया, जिसे बाद जांच व अनुमति तस्दीक किया जाकर अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 406 भा.दं.सं. के अपराध के आरोप से जरिये राजीनामा दोषमुक्त किया गया। अब अभियुक्त के विरूद्ध धारा 498ए भा.दं.सं. के विरूद्ध का विचारण करना शेष है।

4. अभियोजन की साक्ष्य उपरांत अभियुक्त के बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 313 द.प्र.संहिता लिये गये, तो अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं की।

5. बहस अन्तिम उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त ने तर्क दिया है कि प्रकरण में अभियुक्त को गलत फंसाया गया है। अभियुक्त के द्वारा किसी प्रकार की दहेज की मांग व क्रूरता परिवादिया के साथ नहीं की गई है। परिवादिया व अन्य गवाहान अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही हुए है, जिनकी साक्ष्य अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करती है और ना ही ऐसी कोई तात्विक साक्ष्य दी है, जिससे अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित होता हों। ऐसे में पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने औपचारिक विरोध किया।

6. उभय पक्ष द्वारा दिये गये तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया तथा सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया।

"Authenticate Document"

7. प्रकरण में अवधारणीय बिन्दु यह है किः-

1. ***क्या मुस्तगीसा श्रीमती प्रियंका रावत के साथ दिनांक 07.12.2023 को हुए विवाह के पश्चत् विभिन्न तिथियों पर उसके पति होते हुए उससे अतिरिक्त दहेज में पांच लाख रुपये की मांग की एवं उक्त मांग पूर्ति के लिए मुस्तगीसा को शारीरिक एवं मानसिक रुप से तंग व परेशान कर मारपीट की एवं क्रूरुतापूर्ण व्यवहार करके उसे प्रताडित किया ?***
2. ***यदि ऐसा है तो इसके लिए उचित दण्ड क्या होगा ?***

8. इस प्रकार उपरोक्त अवधारणीय बिन्दु को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन की ओर से न्यायालय में मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है। अब यदि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उक्त साक्ष्य का अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विवेचन किया जाये, तो प्रकरण में परिवादिया श्रीमती प्रियंका रावत व अभियुक्त जयप्रकाश उर्फ अमित के मध्य विवाह होना स्वीकृत तथ्य है। प्रकरण की परिवादिया श्रीमती प्रियंका रावत बतौर गवाह पी.डब्ल्यू.01 के तौर पर परीक्षित हुई है और उसके द्वारा दिये गये सशपथ बयानों से उसके द्वारा प्रस्तुत तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी-01 में वर्णित तथ्यों की ताईद नहीं हुई है। अपितु शादी के बाद स्वयं का अपने ससुराल में अच्दे ढंग से रहने व उससे किसी के द्वारा कोई दान-दहेज की मांग नहीं किये जाने का कथन किया एवं आगे गवाह ने घरेलू काम काज को लेकर उसका उसके पति जयप्रकाश उर्फ अमित से कहासुनी हो जाने पर वकील के जरिये मुकदमा दर्ज कराने का कथन किया है। स्वयं परिवादिया अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित हुई है और अभियोजन द्वारा जिरह करने पर गवाह ने अभियुक्त द्वारा उससे दहेज में पांच लाख रुपये की मांग किये जाने के तथ्य से स्पष्ट रुप से इंकार किया है तथा अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी-06 का ए से बी भाग पुलिस को देने से भी इंकार किया है। परिवादिया ने अभियुक्त द्वारा उससे किसी भी प्रकार से दहेज में पांच लाख रुपये की मांग किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी है और अभियुक्त से राजीनामा होना बताया है। इस प्रकार परिवादिया के कथनों से उसे अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार से दहेज में पांच लाख रुपये को लेकर उसे तंग परेशान सामने नहीं आया है। इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू.02 विक्रम व पी.ड.03 देवेन्द्र हैं जो कि परिवादिया के परिवारीजन है, उन्होंने भी ऐसे ही सशपथ कथन न्यायालय में किये है तथा उनके कथनों से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की हद तक कोई समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है और यह गवाहान भी अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित हुए हैं।

9. प्रकरण में जिस अपराध का आरोप अभियुक्त पर है उसके संबंध में परिवादिया व उसके परिवारीजन ही प्रमुख व महत्वपूर्ण गवाह हो सकते थे परन्तु परिवादिया व उसके परिवारीजन के पक्षद्रोही होने से अभियोजन कहानी निष्फल हो जाती है। उक्त गवाहों के द्वारा दिये गये कथनों से परिवादिया से अतिरिक्त दहेज में पांच लाख रुपये की मांग करना तथा उक्त दहेज की मांग को लेकर उसको तंग,

"Authenticate Document"

परेशान किया जाना प्रमाणित नहीं हुआ है। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजीनामा होना भी स्वीकृत तथ्य रहा है।

10. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार एवं प्रकरण में आई साक्ष्य के अवलोकन से अभियोजन यह युक्ति-युक्त साबित करने में असफल रहा है कि मुस्तगीसा श्रीमती प्रियंका रावत के साथ दिनांक 07.12.2023 को हुए विवाह के पश्चत् विभिन्न तिथियों पर उसके पति होते हुए उससे अतिरिक्त दहेज में पांच लाख रुपये की मांग की एवं उक्त मांग पूर्ति के लिए मुस्तगीसा को शारीरिक एवं मानसिक रुप से तंग व परेशान कर मारपीट की एवं क्रूरुतापूर्ण व्यवहार करके उसे प्रताडित किया। फलतः अभियुक्त का किसी प्रकार से परिवादिया को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाना अभियोजन संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है जिस कारण से अभियुक्त धारा **498ए भा.दं.सं.** के अपराध के आरोप से साक्ष्य के अभाव में **दोषमुक्त** किये जाने योग्य है।

- **आदेश** -

11. परिणामतः अभियुक्त **जयप्रकाश उर्फ अमित पुत्र श्री शंकरसिंह, उम्र 31 साल, निवासी चांदनी चौक नील गर गली सबलगढ, थाना सबलगढ, जिला मुरैना, एम.पी.** को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा **498ए भा०द०सं०** में पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में **दोषमुक्त घोषित** किया जाता है। अभियुक्त को पूर्व में धारा **406 भा.दं.संहिता** में जरिये **राजीनामा दोषमुक्त** किया चुका है। अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्त के प्रस्तुतशुदा **437ए सी०आर०पी०सी०** के मुचलके नियमानुसार प्रभावी रहेंगे।

(सुमन मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
धौलपुर, राज.

12. निर्णय व आदेश आज दिनांक **12.03.2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुमन मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
धौलपुर, राज.

"Authenticate Document" Digitally signed by DURGA MAHAWAR